अपील सूचना अधिकार संख्या 85/2020 (RCMS 2020/00156) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु ... वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर

06.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2020 से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर पर 25000/– रूपया शास्ति अधिरोपित करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2020 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. आपका पत्रांक 2224–2225–26 दिनांक 28.06.2018 पर दिनांक 11.05.2020 तक जो जो कार्यवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर में [illegible] दिनांक एवं पत्र प्राप्ति के रजिस्टर के [illegible] सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र पर कार्यवाही [illegible] वाले कर्मकार का [illegible] की सूचना।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. आपके पत्रांक 2224 दिनांक 28.06.2018 के साथ संलग्न प्रार्थी का पत्रांक जो माननीय मुख्यमंत्री को सम्बोंधित है के सम्बन्ध की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई 2020/606 दिनांक 13.07.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार हैः

1. बिन्दु संख्या 1 व 4 के क्रम में आप द्वारा वर्णित पत्र, पत्रावली में कार्यालय तलाश की गई। परन्तु नहीं मिलें। पुनः तलाश करवायी जा रही है। प्राप्त होते ही उपलब्ध करवा दी जावेगी।
2. बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना का पत्र प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक 2313 दिनांक 02.07.2020 पर दर्ज है, जिसकी प्रति संलग्न है।
3. बिन्दु संख्या 3 के क्रम में लेख है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार सम्बन्धित कर्मचारी

-sd-

[illegible]क लोक सूचना अधिकारी

[illegible] अधिकारी

[illegible]गानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 2 व 3 का उत्तर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर **द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए सहायक लोक सूचना [illegible] एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को दिनांक 13.07.20[illegible] जो उत्तर दिया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है फिर भी सूचना का अधिकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गये बिन्दु संख्या 01 व 04 की सूचनाओं की पत्रावली तलाश करें और इस आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर–भीतर उसे नियमानुसार देय सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:58 IST
Reason: SelfAttested